उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-40/997/एक-1-2014-9(10)/2012

लखनऊ: दिनाँक: 14 अगस्त, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल मिस0 संख्या-67058/2013 स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा श्री प्रमोद सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई। संस्था के विधिक प्रतिनिधि श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 09.12.2013 की प्रति संलग्न कर शासन को प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 09.12.2013 के मुख्य अंश निम्नवत है:-

The petitioners had purchased 725.5 acres of land adjoining river Ganga in 21 villages situated in Kanpur Nagar. The petitioner had made an application on 21st August, 2000 before the Commissioner, Kanpur Division seeking permission under the provisions of the U.P. Z.A.& L.R. Act. The Commissioner had recommended the same to the State Government as it was State Government which could have granted the permission. Pending grant of permission purchases have been made. The application has been rejected by the State Government vide order dated 14th December, 2006 on the ground that land had been purchased without the permission of the State Government and therefore, the purchases be cancelled and land should be resumed under Section 167 of the U.P. Z.A.& L.R. Act. 1950

Petitioners at this juncture filed Civil Misc. Writ Petition No. 2982 of 2007 Swami Brahmanand Saraswati Charitable Truest versus State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Revenue Department-I Vidhan Sabha,Lucknow and said writ petition has been disposed of on 11.3.2010 by passing following order .

"We have heard learned counsel for the parties.

Learned counsel for the petitioner, Sri Tarun Agrawal has invited attention of the court to the provisions of section 154 (3) of the U.P. Z.A.& L.R. Act which empowers the State Government to grant ex-postfacto permission on payment of fine upon certain terms and conditions. Learned counsel for the petitioner Sri Tarun Agrawal submitted that the petitioner is prepared to make an application under the said provision.

We dispose off the writ petition with a direction to the petitioner to file an application under section 154 (3) of the U.P. Z.A.& L.R. Act before the State Government who shall pass an appropriate order in accordance with law after giving an opportunity of hearing to the petitioner within2 thirty days from the date of a certified copy of this order along with the application is filed before the authority concerned.

The interim order granted by the by the Court on 18.01.2007 shall continue to remain operative, till a final decision is taken by the State Government on the petitioner's application..

shasnadesh.up.nic.in

It is made clear that the court has not adjudicated the claim of the petitioner on merits.

The Petition is stands disposed off".

Pursuant to liberty accorded by this Court, petitioner moved an application under Section 154(3) of U.P.Z.A. & L.R. Act before the State Government and said application remained pending with the State Government and then issue was raised in respect of deposit being made and then Civil Misc. Writ Petition No. 45114 of 2012 Swami Brahmanand Saraswati Charitable Truest versus State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Revenue Department-I Vidhan Sabha, Lucknow had been filed and this Court on 17.4.2013 passed following order:

"Pursuant to the order dated 10.4.2013, the case is listed today.

Sri Tarun Agarwal, learned counsel for the petitioners and the learned Standing Counsel app earing for the respondent, are present.

Referring to the averments made in Paragraph nos. 2 and 3 of the Supplementary Affidavit, sworn on 4.3.2013 filed on behalf of the petitioners, Sri Tarun Agarwal,learned counsel for the petitioners states that the petitioners are ready to make deposit, as per the provisions contained in the First Proviso to sub- section (3) of Section 154 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950,

Learned Standing Counsel appearing for the respondent ,on the basis of instructions received by him, states that in view of the readiness expressed by the p etitioners in Paragraph nos. 2 and 3 of the aforesaid Supplementary Affidavit, and keeping in view of the statement made today by Sri Tarun Ag arwal, learned counsel for the petitioner regarding readiness of the petitioner to make deposit under the aforesaid provisions, the matter is under consideration before the State Government, and the decision in this regard is expected to be taken shortly.

Learned Standing Counsel appearing for the respondent prays that the case may be directed to be listed on 21.5.2013 so that in the meantime, needful may bedone in the matter In view of the above, the case is directed to be listed on 21.5.2013.

As the matter is under consideration before the State Government, we direct that till the next date fixed in the matter, Statues-quo , as of date , in regard to the land in question, will be maintained by the parties hereto.

Petitioners submit that as far as they are concerned, they are unconditionally prepared to deposit fine as per the first proviso of section 154 (3) of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. Petitioners' submission is that without considering their request and without assigning any reason their request has been turned down and same has impelled the petitioners to be once again before this Court.

Sri Ravi Kant, Senior Advocate, assisted by Sri Tarun Agarwal, Advocate contended with vehemence that once there is a provision conferring authority on the State Government to accord permission, even post facto after transaction has taken place after charging requisite amount in question, and petitioners are prepared for complying with the said terms and conditions, then some reason ought to have been indicated as to why said application in question cannot be allowed and

shashidesh.up.nic.in

specially when the purpose and object for acquiring the said land is chartable and in view of this writ petition deserves to be allowed.

Learned Standing Counsel on the other hand contended that rightful decision has been taken and no interference should be made by this Court.

After respective arguments have been advanced, factual situation which has so emerged in the present case that petitioners have purchased 725.5 acres of land adjoining river Ganga in 21 villages situated in Kanpur Nagar. Petitioners submit that in order to get transaction in question cleared post facto as is provided for petitioners have expressed their willingness to comply with the provisions as contained in the first proviso to sub-section 3 of Section 154 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 by depositing 25% of the amount in question and petitioners grievance is that said application has not at all been considered on merits on the premises that land in question has been mutated in the name of Government.

Once land in question belonged to private land holders and petitioners have precoded to purchase the same for charitable purpose, and educational purpose and provision for post facto ratification of the said transaction, on fulfillment of terms and conditions as contained in the first proviso to subsection 3 of Section 154 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act,1950, then request made by petitioner ought to have been considered by reasoned order as to why petitioners request cannot be accepted. Merely because mutation has been made in favour of the State Government, same cannot be made foundation and basis for not considering the request of the petitioners. Mutations are made for a specific purpose, and are always subject to transactions and proceedings that take place. Once there is a provision, then the claim of petitioners should have been considered on merit, instead of proceeding to non suit the claim of petitioners, merely on the premises that mutation has taken place.

Consequently, in view of the fact stated above, order dated 31.5.2013 passed by the State Government is hereby quashed and set aside and the State Government is directed to take a fresh decision in the matter in accordance with law, preferably within period of next four months from the date of production of certified copy of this order.

With these observations, writ petition is allowed.

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 09.12.2013 के क्रम में स्वामी ब्रहमान्न्द चेरिटेबुल ट्रस्ट, मथुरा रोड, नई दिल्ली के विधिक प्रतिनिधि श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनाँक 10.02.2014 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि स्वामी ब्रहमानन्द चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा जनपद कानपुर नगर के गंगा तट पर क्रय की गयी भूमि में महर्षि योगी, वैदिक विज्ञान, महर्षि भावातीत ध्यान एवं अनुसंधान केन्द्र विकसित करने की योजना है, उक्त संस्था का ज्ञान विश्व स्तर पर प्रसारित किया जायेगा। उक्त भूमि में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ बनाये जाने की योजना है, जहॉ पर वेद विज्ञान की विद्या एवं अध्यापन कर रहे आचार्यो एवं छात्रों के आवासों की स्थापना की जायेगी। उक्त केन्द्र में मानव जीवन को पूर्ण बनाये जाने की योजना है। महर्षि स्थापत्य वेद एवं अनुसंधान केन्द्र भारत में परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा वास्तु उपचार करने वाले याज्ञिकों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा। वहॉ पर महर्षि गन्धर्व वेद विज्ञापीठ की स्थापना की जायेगी जिसमें भावातीत ध्यान शैली का प्रयोग किया जायेगा। संस्था द्वारा महर्षि अजेय सुरक्षा विभाग की स्थापना की जायेगी जहॉ पर भावातीत ध्यान सिद्वि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। संस्था द्वारा महर्षि

shasnadesh.up.nic.in

साक्षरता केन्द्र, महर्षि बाल समिति योजना, महर्षि वैदिक कृषि, महिला ध्यान विद्यापीठ, वेद विज्ञान भवन, यज्ञानुष्ठान केन्द्र, आयुर्वेद केन्द्र, ज्योतिष केन्द्र एवं प्राकृतिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। उक्त केन्द्रो पर आधुनिकतम शिक्षा, निरक्षरों को साक्षर, छात्रों के शारीरिक विकास के लिये खेलकूद आवास एवं व्याव्याम की व्यवस्था की जायेगी। वैदिक खेती में देशी खाद, रसायनिक प्रयोग रहित बीज तथा फसल पैदा की जायेगी। महिला ध्यान विद्यापीठ में निरक्षर लड़कियों, महिलाओं को साक्षर बनाया जायेगा। महर्षि वेद विज्ञान भवन में प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधा दी जायेगी तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे। स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (3) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई भूमि को जुर्माना अदा करने की शर्त पर विनियमितीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

3- स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट, मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा शासन की अनुमति के बिना कानपुर नगर में 557.29 एएकड़ भूमि क्रय की गई। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154(1) के उल्लंघन के फलस्वरूप राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1860/एक-1-2006, दिनॉक 14.12.2006 द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय किये जाने के कारण धारा-166 के अन्तर्गत संक्रमण की कार्यवाही को निष्प्रभावी घोषित करते हुए धारा-167 के अधीन राज्य सरकार में भूमि को निहित करने के निर्देश दिये गये।

उक्त आदेश दिनॉक 14.12.2006 के विरूद्व संस्था द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-2982/2007 स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 11.03.2010 के अनुपालन में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-529/एक-1-2012-5-1(17)/2001-157 टी.सी..-1, दिनॉक 25.06.2012 द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के अनुपालन में तहसील बिल्हौर से सम्बन्धित 22 ग्रामों में स्थित भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज कर ली गई है।

4- स्वामी ब्रहमानन्द चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-45114/2012 स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा श्री प्रमोद सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई। मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट प्रश्न उठाया गया कि जनपद कानपुर नगर में 557.29 एकड़, इलाहबाद में 156 एकड़ एवं भवानी पदारथपुर, बॉदा में 20 एकड़ भूमि जो 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई है, इस हेतु 25 प्रतिशत जुर्माना की धनराशि जमा करने की शर्त पर क्या राज्य सरकार विनियमितीकरण हेतु तैयार है

5. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154की उपधारा (1) के अधीन 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है किन्तु धारा-154 (2) के अधीन कतिपय परिस्थितियों में उक्त सीमा से अधिक भूमि का संक्रमण राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा-154 (2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना 12.50 से अधिक भूमि का संक्रमण धारा-166 के अधीन निष्प्रभावी हो जाता है और संक्रमण की विषयवस्तु धारा-167 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है। नियत सीमा 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के

shashadesh.up.nic.in

संक्रमण हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी द्वारा शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवेदन पत्र देना होता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्यक जॉचोरान्त निर्धारित विवरण में सूचना संकलित कर उपलब्ध करायी जाती है और भूमि की न्यूनतम आवश्यकता इंगित करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि से सम्बन्धित अन्य विवरण प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है। शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी के आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं न्युनतम भूमि की आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त की जाती है। प्रकरण को सन्दर्भ किये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जॉचोपरान्त संकलित सूचना स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के संक्रमण से सम्बन्धित औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा विचारोपरान्त मत स्थिर किया जाता है और संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के राजस्व अनुभाग-1 को सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था है। राजस्व विभाग द्वारा विचारोपरान्त औचित्य पाये जाने की दशा में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण को धारा-154 (2) के अधीन प्राधिकृत किये जाने से सम्बन्धित आदेश जारी किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154(3) में यह भी व्यवस्था है:-

उपधारा (1) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि के प्रत्येक संक्रमण के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ इस धारा के अधीन राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो वहॉ आवेदन पर जुर्माने के रूप में भूमि की लागत के 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का यथाविहित रीति से भुगतान करने पर बाद में राज्य सरकार यथाविहित रीति से अपना अनुमोदन दे सकती है। भूमि की लागत वही होगी जैसा कि कलेक्टर द्वारा स्टाम्प शुल्क के लिये अवधारित की जाय।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ राज्य सरकार का भी समाधान हो जाय कि कोई अंतरण जनहित में किया गया है वहॉ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माने के भुगतान से छूट दे सकती है।

6. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के विपरीत स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा जनपद कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं भवानी पदारथपुर, बॉदा में नियत सीमा 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की गयी है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154(3) के अन्तर्गत 25 प्रतिशत जुर्माना की धनराशि जमा करने की शर्त पर विनियमितीकरण की अनुमति प्रस्तर-5 में उलिलखित व्यवस्था/प्रक्रिया का अनुपालन करने पर ही विचार किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा बिना स्पष्ट नीति/प्रयोजन, भूमि के न्यूनतम निर्धारित मानक तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154(3) के अन्तर्गत विनियमितीकरण की अनुमति औचित्य नहीं पाया गया। शासन के उक्त निर्णय की स्थिति से शासन के पत्र संख्या-723/एक-1-2013-9(10)/2012, दिनॉक 31.05.2013 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय को स्थिति से अवगत कराया गया।

shasnadesh.up.nic.in

7- याचिका संख्या-67058/2013 स्वामी ब्रह्मानन्द चेरिटेबुल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 09.12.2013 के क्रम में स्वामी ब्रह्मान्न्द चेरिटेबुल ट्रस्ट, मथुरा रोड, नई दिल्ली के विधिक प्रतिनिधि श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनाँक 10.02.2014 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि स्वामी ब्रह्मानन्द चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा जनपद कानपुर नगर के गंगा तट पर क्रय की गयी भूमि में महर्षि योगी, वैदिक विज्ञान, महर्षि भावातीत ध्यान एवं अनुसंधान केन्द्र विकसित करने की योजना है, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तर-2 में दिया गया है।

स्वामी ब्रह्मान्न्द चेरिटेबुल ट्रस्ट, मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं भवानी पदारथपुर, बॉदा में 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई। प्रत्यावेदन में भूमि के उपयोग/स्पष्ट प्रयोजन एवं न्यूनतम भूमि के मानक का उल्लेख नहीं किया गया है। संस्था द्वारा भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग की सहमति भी प्राप्त नहीं की है। स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 के प्राविधानों एवं निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने, उक्त मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व हस्तगत करने तथा उक्त उन्मूलन तथा हस्तगतीकरण के परिणामस्वरूप भौमिक अधिकार सम्बन्धी विधि में सुधार करने तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 बनाया गया था। बिना स्पष्ट नीति, प्रयोजन, न्यूनतम भूमि के मानक एवं शासन की पूर्वानुमति के बिना ट्रस्ट द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि का क्रय किया गया है।

प्रदेश में नये जमींदार की उत्पत्ति रोकने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (1) में भूमि की सीमा 12.50 एकड़ नियत की गई है। विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने एवं प्रदेश में विकास की गति को तीव्र करने के दृष्टिकोण से धारा-154 (2) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराते हुए 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यदि किसी कारणवश विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु शासन की अनुमति के बिना नियत सीमा से अधिक भूमि का क्रय कर लिया गया है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराते हुए न्यूनतम निर्धारित मानक के अनुसार भूमि के विनियमितीकरण की अनुमति जुर्माना अदा करने की शर्त पर विचार कर सकती है। यह भी प्राविधान है कि जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण जनहित में किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को जुर्माने के भुगतान से छूट भी दे सकती है।

8. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 09.12.2013 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तर-5 से 7 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए जनपद कानपुर नगर, जनपद इलाहबाद एवं भवानी पदारथपुर, जनपद बॉदा में नियत सीमा 12.50 एकड़ से बहुत अधिक भूमि क्रय की गयी है। राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-529/एक-1-2012-5-1(17)/2001-157 टी.सी-1, दिनॉक 25.06.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-166 के

shasnadesh.up.nic.in

अधीन क्रय को निष्प्रभावी करते हुए संक्रमित भूमि को धारा-167 के अधीन राज्य सरकार में निहित करने के आदेश निर्गत किये गये। स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा बिना शासन की अनुमति के गंगा के किनारे तथा अन्य स्थलों पर बिना स्पष्ट नीति एवं आशय के भारी मात्रा में भूमि क्रय की गई है। इस प्रकार की अनुमति दिया जाना उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की व्यसथा के अनुरूप नहीं है। समस्त तथ्यों के द्रष्टिगत स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा नियत सीमा 12;50 एकड् से अधिक क्रय की गयी भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154(3) के अन्तर्गत आवेदक पर जुर्माने के रूप में भूमि की लागत के 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का यथाविहित रीति से भुगतान करने के बाद भी विनियमितीकरण करने का औचित्य नहीं है।

याचिका संख्या-67058/2013 स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा श्री प्रमोद सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 09.12.2013 के अनुपालन में स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट, मथुरा रोड, नई दिल्ली के विधिक प्रतिनिधि श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री सतगुर प्रसाद निवासी कस्वा व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 10.02.2014 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

आज्ञा से,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या-997(1) /एक-1-2014-9(10)/2012, तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, कानपुर, इलाहाबाद एवं चित्रकूट मण्डल।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं बॉदा।
5. मुख्य ट्रस्टी, स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट, ए-14, मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
6. श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री सतगुर प्रसाद, विधिक प्रतिनिधि, स्वामी ब्रहमानन्द सरस्वती चेरिटेबुल ट्रस्ट, निवासी कस्वा व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।
7. राजस्व अनुभाग-1 की पत्रावली संख्या-5-1(17)/2001-157 टी.सी..-1 में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- /एक-1-2014-5(70)/2013

लखनऊ: दिनाँक: मार्च, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6)द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए उत्तर प्रदेश ikoj कारपोरेशन लि0, लखनऊ को तापीय विद्युत गृह बारा, इलाहाबाद को भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	खसरा/ गाटा नं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद	बारा	बारा	पडुवा	363 मि.	0.0127	ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए तापीय विद्युत गृह बारा हेतु।
2					537 मि.	0.0060	
3					581 मि.	0.0055	
4				भिलोर	286 मि.	0.1370	
5					293 मि.	0.0046	
6					298 मि.	0.0063	
7				सोपारी	320 मि.	0.0370	
8					311 मि.	0.0463	
9				लालापुर	5 मि.	0.0083	
10					6 मि.	0.0083	
11					61 मि.	0.0049	
12					101 मि.	0.0161	
13					198 मि.	0.0214	
14					207 मि.	0.0037	
15				गोपीपुर	22 मि.	0.0067	
16					46 मि.	0.0014	
17					7 मि.	0.0058	

shasnadesh.up.nic.in

18				सोनौर	31 मि.	0.0033	

-2-

19				बसहाई	1 मि.	0.0069	
20					4 मि.	0.0126	
21					8 मि.	0.0538	
22					12 मि.	0.0103	
23					32 मि.	0.0130	
24					33 मि.	0.0120	
25					47 मि.	0.0101	
26					50 मि.	0.0103	
27				गिधार	48 मि.	0.0096	
28					50मि.	0.0045	
29					120 मि.	0.0050	
30					122 मि.	0.0186	
31				ओठगीतरहार	365 मि.	0.0707	
32				जोंधीमझिहारी	372 मि.	0.0170	
33				सोनवे	335मि.	0.0235	
34					357 मि.	0.0781	
35					360 मि.	0.0092	
36				दुबहा	1 मि.	0.0140	
37					162 मि.	0.0068	
38					581 मि.	0.0198	
39				बिनौरी	68 मि.	0.0051	
40					88 मि.	0.0038	
41					91 मि.	0.0423	
42					106 मि.	0.0188	
43					108 मि.	0.0060	
44					178 मि.	0.0070	
45					182 मि.	0.0439	
46					186 मि.	0.0165	
47				हिनौताबलराज	16 मि.	0.0066	
48					22 मि.	0.0099	

shasnadesh.up.nic.in

49					25 मि.	0.0243	
50					40 मि.	0.0352	

-3-

51					51 मि.	0.0084	
52					53 मि.	0.0195	
53					68 मि.	0.0082	
54					79 मि.	0.0641	
55				भोड़ी	298 मि.	0.0098	
56					300 मि.	0.0292	
57					362 मि.	0.0086	
58					383 मि.	0.0071	
59					414 मि.	0.0072	
60					417 मि.	0.0078	
				कुल योग	कुल 60 गाटा	1.1304 हे0	

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/ एक-1-2014-5(70)/2013, तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-3349/डी0एल0आर0सी0, दिनाँक 17-06-2013 तथा पत्र संख्या-3905/डी0एल0आर0सी0, दिनाँक 21-11-2013 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या/287-एक ,4-2004/(1)12-01-2004-1- दिनाँक 212004-06- के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल 60 गाटा रकबा 1.1304 हे0, का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर

shasnadesh.up.nic.in

निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया की धनराशि लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। उक्त भूमि ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश

-4-

शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी, जो पट्टे की शर्तो के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- /एक-1-2014-5(70)/2013, दिनॉक मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायेंगे।

3- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/ एक-1-2014-5(70)/2013, तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, मे0 प्रयागराज पॉवर जेनरेशन क0लि0, लोहगरा तहसील बारा जनपद इलाहाबाद।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- /एक-1-2013-5(74)/2013

लखनऊ: दिनाँक: जनवरी, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6)द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, को दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग (एस0एच0-57) के चौड़ीकरण में निहित वन भूमि के बदले में गैर वन भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने हेतु पुनर्ग्रहण करते हुए वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	खसरा/ गाटा नं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जालौन	उरई	उरई	बंधौली	1423 ट	11.801	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु।
2					1547ज	22.681	
3					1571ड	21.093	
4					1587क	20.629	
5					1631ड	13.577	
6					1933घ	32.388	
7					1948क	19.761	
8					1954	10.424	
9					1956घ	17.814	
10					2446	19.465	

shasnadesh.up.nic.in

11		माधौगढ़	माधौगढ़	मानपुरा	236मि0	31.856	
12		कोंच	कोंच	ऐबरा	1 ख	12.651	
13		कालपी	कालपी	परासन	1249	12.303	
14		जालौन	जालौन	लाड़पुर	1 क	25.998	
				कुल योग	कुल 14 गाटा	272.441 हे0	

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

&2&

&2&

संख्या- (1)/ एक-1-2013-5(74)/2013, तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को उनके पत्र संख्या-984/8-डी0एल0आर0सी0, दिनाँक 23-09-2013 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल 14 गाटा रकबा 272.441 हे0, का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वाँछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा प्रभागीय वनाधिकारी, उरई वन प्रभाग, जालौन को दिया जाय। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

3- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/ एक-1-2013-5(74)/2013, तद् दिनाँक।

shasnadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6- उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग जालौन स्थान उरई।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in